# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी प्रभात त्रिपाठी) आर.ए.एस

प्रकरण सं. / प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 40 / 2022

1. अमरी पत्नी मेवा जाति बैरवा निवासी तैलाड़ा तहसील भिनाय अजमेर
2. मेवा पुत्र माधु जाति बैरवा निवासी तैलाड़ा तहसील भिनाय अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

**निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम**

**उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– रमेशचन्द्र मेघवंशी**

**2. पैरोकार सरकार**

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा प्रतापपुरा पटवार क्षेत्र चावण्ड़िया भू0अ0नि0 क्षेत्र एकलसिंहा के खाता सं0 04 में दर्ज खसरा नं. 460 रकबा 0.14 है0 एवं खसरा नम्बर 461 रकबा 0.10 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.24 है0 है,** जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 1 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी सं0 1 पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा प्रतापपुरा पटवार क्षेत्र चावण्ड़िया भू0अ0नि0 क्षेत्र एकलसिंहा के खाता सं0 04 में दर्ज खसरा नं. 460 रकबा 0.14 है0 एवं खसरा नम्बर 461 रकबा 0.10 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.24 है0** प्रार्थीगण की खातेदारी होने से भू–अभिलेख निरीक्षक एकलसिंहा को 1000/–(एक हजार रूपये) मौका कमीशनर फीस पर नियुक्त कर भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ौसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सुचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता हैं। मौका कमीशनर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।**

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) सज

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:50:25 IST
Reason: SelfAttested

—लगातार.

Scanned with CamScanner